

**Ram Krishna College of Ayurveda & Medical Sciences,
RKDF University, Bhopal
NAAC A+ Accredited
Session 2025-26**

FEES DETAILS

Tuition Fee For BAMS (UG)	*3,40,000 Rs Per Year	<ul style="list-style-type: none">• University Exam fee Will Be Charged Extra,• Hostel Fee Will Be Charged Extra,• Mess Fee Will Be Charged Extra,• Bus Fee Will Be Charged Extra
----------------------------------	-----------------------	--

*** This fees has been proposed by our University to the M. P. Private University Regularity Commission, Bhopal for the Session 2025-2026. If any change is made in the fees by the M. P. Private University Regularity Commission, Bhopal after reviewing the fees, then it will be applicable.**

The Bank Details for doing RTGS/NEFT and Online transactions:-

Account Name: Registrar RKDF University, Bhopal

Account Number: 7548002100000032

IFSC CODE: PUNB 0754800

DD in favour of REGISTRAR, RKDF UNIVERSITY, Bhopal (Payable at Bhopal)

**Ram Krishna College of Homoeopathy & Medical Sciences,
RKDF University, Bhopal
NAAC A+ Accredited
Session 2025-26**

FEES DETAILS

Tuition Fee For BHMS (UG)	*1,80,000 Rs Per Year	<ul style="list-style-type: none">• University Exam fee Will Be Charged Extra,• Hostel Fee Will Be Charged Extra,• Mess Fee Will Be Charged Extra,• Bus Fee Will Be Charged Extra
Tuition Fee For M.D (Hom.) (PG)	*3,40,000 Rs Per Year	

*** This fees has been proposed by our University to the M. P. Private University Regularity Commission, Bhopal for the Session 2025-2026. If any change is made in the fees by the M. P. Private University Regularity Commission, Bhopal after reviewing the fees, then it will be applicable.**

The Bank Details for doing RTGS/NEFT and Online transactions:-

Account Name: Registrar RKDF University, Bhopal

Account Number: 7548002100000032

IFSC CODE: PUNB 0754800

DD in favour of REGISTRAR, RKDF UNIVERSITY, Bhopal (Payable at Bhopal)



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

२१०७/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक ०५/०९/२४

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
आर.के.डी.एफ विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय— शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.09.2024 में किये गये अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Diploma	Diploma Engineering	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
2	BE/B.Tech	Bachelor Of Engineering	65,000.00	48,450.00	8,550.00	57,000.00
3	M.Tech	Master Of Technology	55,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
4	D.Pharma	Diploma Pharmacy	120,000.00	93,500.00	16,500.00	110,000.00
5	B.Pharma	Bachelor Of Pharmacy	90,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
6	B.Pharma (Practice)	B Pharma Practice	30,000.00	25,500.00	4,500.00	30,000.00
7	M.Pharma	Master Of Pharmacy	100,000.00	85,000.00	15,000.00	100,000.00

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

8	B.Tech	B. Tech (Agricultural Engineering)	50,000.00	42,500.00	7,500.00	50,000.00
9	B.Sc.	Bachelor Of Science (Ag)	70,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
10	M.Sc. (Agri)	Master Of Science (Agriculture)	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
11	Diploma (Agri)	Diploma In Agriculture (8 Subjects)	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
12	B.Arch	Bachelor Of Architecture	55,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
13	M.Arch	Master Of Architecture (M.Arch)	90,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
14	MCA	Master Of Computer Application	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
15	BCA	Bachelor Of Computer Application	20,000.00	14,025.00	2,475.00	16,500.00
16	DCA	DCA	10,000.00	8,500.00	1,500.00	10,000.00
17	PGDCA	PGDCA	12,000.00	10,200.00	1,800.00	12,000.00
18	MBA	Master Of Business Administration	50,000.00	42,500.00	7,500.00	50,000.00
19	BBA	Bachelor Of Business Administration	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
20	BBA (Logistics)	BBA (Logistics)	100,000.00	66,300.00	11,700.00	78,000.00
21	BM Studies(Agri Storage)	BM Studies (Agri Storage)	100,000.00	66,300.00	11,700.00	78,000.00
22	Diploma In pharmacy Homeopathy	Diploma In Pharmacy Homoeopathy	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
23	BHMS	Bachelor Of Homoeopathic Medicine And Surgery	180,000.00	128,180.00	22,620.00	150,800.00
24	MD Homoeopathy	MD Homoeopathy	300,000.00	219,300.00	38,700.00	258,000.00
25	D.ED	Diploma In Education	44,300.00	37,655.00	6,645.00	44,300.00
26	B.ED	Bachelor Of Education	75,000.00	53,125.00	9,375.00	62,500.00
27	M.ED	Master Of Education	65,000.00	55,250.00	9,750.00	65,000.00
28	BA	Bachelor Of Arts	10,000.00	8,500.00	1,500.00	10,000.00
29	MA	Master Of Arts	15,000.00	12,750.00	2,250.00	15,000.00

// 03 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रूपये में)

30	BA LLB (FIVE YEAR)	Bachelor Of Arts Bachelor Of Laws(BALLB)	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
31	LLB	Bachelor Of Law (LLB)	35,000.00	24,650.00	4,350.00	29,000.00
32	LLM	Master Of Law (LLM)	55,000.00	46,750.00	8,250.00	55,000.00
33	B.COM (Plan/Honour)	Bachelor Of Commerce (Plan/Honor)	18,000.00	13,600.00	2,400.00	16,000.00
34	B.COM (Com/Honour)	Bachelor Of Commerce (Computer)	18,000.00	14,875.00	2,625.00	17,500.00
35	M.COM	Master Of Commerce	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
36	BSW	Bachelor Of Social Work	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
37	MSW	Master Of Social Welfare (MSW)	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
38	B.Sc	Bachelor Of Science	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
39	M.Sc	Master Of Science	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
40	B.Lib	Bachelor Of Library & Information Sciences (B.Lib. I. Sc)	12,000.00	10,200.00	1,800.00	12,000.00
41	M.Lib	Master Of Library & Information Sciences (M.Lib. I. Sc)	15,000.00	12,750.00	2,250.00	15,000.00
42	B.A.M.S	Bachelor In Ayurvedic & Medical Science (B.A.M.S)	340,000.00	238,000.00	42,000.00	280,000.00
43	PHD	Doctor Of Philosophy	200,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00


- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

// 04 //

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)


(सुनील खरे)
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल




भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।


प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र. 682/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2025

दिनांक 21/8/25

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर अधोलिखित तथ्यों/शर्तों के अध्यधीन आयोग के पत्र क्र. 2409 दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से की गई विश्वविद्यालय में संचालित शेष पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1		B.Sc Nursing	120,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
2		Post Basic B.Sc Nursing	80,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00

- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

1/11/25

// 02 //

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
(सुनील खरे)
प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2025

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल